राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

291/2021 मूलचन्द | बिजेन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/7/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जाना उचित समझा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करे। रेस्पो. के नोटिस जारी करे। पत्रावली दिनांक 26/7/21 को पेश हो।	नो० कि 5801-34 19.7.21
26/7/21	[illegible] 05/8/21 को पेश [illegible]	
05/8/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील को नोट प्रेस करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट अब अपनी इस अपील को आगे चलाना नही चाहता है। अतः अपील को नोट प्रेस किया है, अतः अपील नोट प्रेस मे खारिज करमाई जावे। चूंकी अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील को नोट प्रेस कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	Not press 5/8/21

राजस्व अपील प्रा. जयपुर (राजस्थान)